न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं.– 139/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/409)

अपीलार्थी :–

समदा देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल उम्र 60 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी जिनजिनयाला गोविंदा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगणः–

1. कैलाश चंद पुत्र श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी जिनजिनयाला गोविंदा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार, बालेसर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बविरूद्ध आदेश दिनांक 27.05.2025 जो राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 38/2025 अनवान कैलाशचंद बनाम समदा देवी में तहसीलदार, बालेसर द्वारा कार्यवाही अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री लाधुराम पूनिया (अपीलांट की ओर से उपस्थित)।
2. प्रत्यर्थी सं. 01 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक 15.10.2025**

1. यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अंतर्गत, न्यायालय तहसीलदार, बालेसर द्वारा, राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 38/2025 अनवान कैलाश चंद बनाम समदा देवी में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025, कार्यवाही अंतर्गत धारा 251 राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 05.06.2025 को पेश की गई है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी 1 कैलाशचंद को जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट कनसाईनमेंट नंबर RR515709421IN दिनांक 18.06.2025 को भेजा गया नोटिस दिनांक 20.06.2025 को डिलीवर हुआ है, जिसकी ट्रेक रिपोर्ट

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

संलग्न पत्रावली है तथा इसे पर्याप्त तामिल मानी जाती है परंतु नियत दिनांक 25.06.2025 एवं उसके पश्चात् की सुनवाई तिथियों को न तो वह स्वयं उपस्थित हुआ है तथा न ही उसकी ओर से किसी अधिवक्ता ने उपस्थिति दी है। अतः उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किय जाते है। तहसीलदार, बालेसर से मूल पत्रावली प्राप्त हुई।

3. प्रकरण के संक्षिप्त सारवान तथ्य अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार अपीलार्थीनी के खातेदारी के खेत खसरा सं. 816/56 के पडौसी खातेदार भंवरलाल पुत्र भींयाराम के लडके प्रत्यर्थी कैलाशचंद ने तहसीलदार बालेसर को प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि जिनजिनयाली गांव को जाने वाला कटाणी मार्ग को मिलाने वाला रास्ता दिनांक 16.05.2025 को ख.नं. 816/56 के खातेदार ने खड्डा खुदाई करके बंद कर दिया है, जिसे खुलवाया जावे। तहसीलदार ने धारा 251 में दिनांक 26.05.2025 को प्रकरण दर्ज कर दिनांक 27.05.2025 को अपीलार्थी पर नोटिस तामिल करवाये बिना ही अगले दिन दिनांक 27.05.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए ख.नं. 816/56 में से रास्ता खुलवाने के आदेश पारित किये है। कैलाशचंद का ख.नं. 53 कटाणी रास्ता से लगता है, जिसका कोई रास्ता अवरूद्ध नहीं है, जिसकी जांच किये बिना ही रास्ता खोलने का विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो मनमाना, विधि व न्याय एवं अभिलेख के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। एक ही दिन में बिना व्यक्तिगत नोटिस तामिल करवाए, कार्यवाही पूरी कर रास्ता खोलने का दिया गया आदेश गैर कानूनी है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कैलाशचंद के खातेदारी खेत का रास्ता बंद करने की कोई जांच ही नहीं की गई है। उसका खेत कटाणी मार्ग से लगता ही है। धारा 251 के प्रावधानों के तहत क़ेवल खातेदार के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होने पर ही कदीमी रास्ता खुलवाने का प्रावधान है। ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है। पटवारी व भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट एकतरफा एवं विषयवस्तु से बाहर जाकर तैयार की गई है। रिपोर्ट में कैलाशचंद का रास्ता बंद करने का कोई तथ्य नहीं है। अपीलाधीन आदेश धारा 251 के प्रावधानों के बिल्कुल ही विपरीत है। इसमें सार्वजनिक मार्ग को खुलवाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। सार्वजनिक रास्तों क़ी व्यवस्था भूमि अधिग्रहण करके की जा सकती है। कैलाशचंद का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य था। अपीलाधीन आदेश बिना कोई न्यायसंगत कारण दिये पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2025 को निरस्त किया जावे।

4. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया की एकतरफा बहस दिनांक 03.10.2025 को सुनी गई।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

5. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी पर व्यक्तिशः नोटिस तामिल नहीं हुआ है। अपीलार्थी के पति पर नोटिस तामिल बताकर मात्र 24 घंटों में ही संपूर्ण कार्यवाही पूरी कर ली है। पटवारी ने दिनांक 22.05.2025 को मौका फर्द अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की है। धारा 251 के तहत विधिवत प्रार्थना पत्र कैलाशचंद ने पेश ही नहीं किया है। पत्रावली पर गांव वालों की ओर से प्रस्तुत सामूहिक शिकायत की मात्र फोटोप्रति ही उपलब्ध है। कैलाशचंद के सुखचार का उल्लंघन किस तरह से हुआ है, इसका कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है। कैलाशचंद का खेत ख.नं. 53 तो कटाणी मार्ग पर स्थित है तथा कटाणी मार्ग को अपीलांट ने अवरूद्ध नहीं किया है तथा कैलाशचंद अपीलांट के खेत पर से आता जाता भी नहीं है। इस प्रकार कैलाशचंद का प्रार्थना पत्र धारा 251 के अंतर्गत संधारण योग्य ही नहीं है। फिर भी कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके मात्र सार्वजनिक शिकायत पत्र की फोटोप्रति पर ही संपूर्ण कार्यवाही 24 घंटों में पूर्ण कर ली गई है, जो विधि विरूद्ध व अन्यायपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। कैलाशचंद ने अपने साक्ष्य/सबूतों से सुखाधिकार के अधिकार साबित ही नहीं किया है जबकि उसे साबित करने का भार कैलाशचंद पर ही था। धारा 251 के प्रावधान केवल निजी सुखाधिकारों के लिए ही लागू होते है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक रास्ते नहीं खुलवाये जा सकते है तथा न ही नया रास्ता कायम किया जा सकता है तथा न ही ऐसे रास्तों को रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकता है न ही नक्शों में तरमीम किया जा सकता है।

काश्तकारों की सहमति से या अन्यथा से नई धारा 251 ए के अंतर्गत बाद जांच मुआवजा देकर नया रास्ता का प्रावधान किया गया है। अतः विधि व न्याय के खिलाफ पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जावे।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 251 के प्रावधानों का गहनता से अध्ययन कर, उक्त प्रावधान बाबत समय–समय पर उच्चतर माननीय न्यायालयों द्वारा पारित न्यायिक विनिश्चयों का परिशीलन किया।

यक्ष प्रश्न यह है कि उक्त धारा 251 के तहत रास्ते का सुखाधिकार प्राप्त करने हेतु क्या कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रास्ता खुलवाने हेतु तहसीलदार को समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है या यह सुविधा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानों के तहत रिकॉर्ड में अभिलिखित केवल भू धारक (Holder of Land) को ही अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने हेतु दूसरे काश्तकार की कृषि भूमि पर से ही उपलब्ध है?

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

धारा 251 का मूल पाठ इस प्रकार हैः–

251. रास्ते व अन्य सुखाधिकार के अधिकारः–

(1) किसी भू–धारक के मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार में जिसका वह वास्तव में उपभोग कर रहा हो, विधि के सम्यक् क्रम से भिन्न रूप से उसकी सम्पत्ति के बिना ऐसे उपभोग में विघ्न डाल जाने की दशा में तहसीलदार इस प्रकार विघ्नग्रस्त भू–धारक के आवेदन पर और ऐसे उपभोग और विद्या के तथ्य पर संक्षेपतः जांच करने के पश्चात् विघ्न को हटाये जाने अथवा उसको रोके जाने के लिए आदेश दे सकेगा और धारक–आवेदक को ऐसे उपभोग का प्रत्यावर्तन किये जाने का आदेश दे सकेगा, भले ही ऐसे प्रत्यावर्तन के विरुद्ध किसी अन्य हक का प्रश्न तहसीलदार के सामने जताया गया हो।

(2) इस धारा के अधीन पारित कोई आदेश किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकार अथवा सुखाचार को, जिसका दावा वह किसी सक्षम सिविल न्यायालय में नियमित वाद द्वारा कर सके, स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा।

उक्त सांविधिक स्थिति के संबंध में कुछ न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार हैः–

(i) जगदीश एवं अन्य बनाम–General People of Gram Panchayat Batoda & Ors. 1994 RRD-589 में पैरा सं. 3 में यह अभिनिर्धारित किया है कि– Section 251 only authorises the Tehsildar whose power are also delegated to the Gram Panchayat to remove only such obstruction created by any other khatedar of land through whose land there was any existing right to way which was being enjoyed by such other khatedar but the G. P. or the Tehsildar has no right or jurisdiction to remove any obstruction which has been created by a holder of any in the way which does not lead to the land of any holder of land or leads to no. agricultural lands. इस प्रकार धारा 251 में प्रार्थना पत्र सिर्फ भूमि का धारक (Holder of land) ही दायर कर सकता है।

(ii) हीरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (1996 आरआरडी 298) में यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 251 के तहत सिर्फ भूमि का धारक ही प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। (पैरा–8)

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(iii)2002 आरआरडी 571 रामनिवास बनाम ग्राम पंचायत कोदेसर व अन्य में पैरा–5 में यह व्यवस्था दी है कि धारा 251 में भूमि धारक द्वारा ही निजी रास्ते के अधिकार के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। भूमि धारक वह व्यक्ति हो सकता है जो खातेदार काश्तकार हो या उसके परिवार का सदस्य हो या खातेदार की तरफ से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काश्त करने के लिए जिसे भूमि दी गई हो।

(iv)2002 आरआरडी 747– रामबक्स बनाम ग्राम पंचायत कुडली व अन्य में यह प्रतिपादित किया गया है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 251 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि केवल भूमिधारक को अपने खेतों पर जाने के लिए पूर्व में अस्तित्व के निजी रास्ते जो किसी अन्य भूधारकों द्वारा बंद कर दिया गया हो उसे खुलवाने की कार्यवाही की जा सकती है। अधिनियम की धारा 251 सार्वजनिक रास्ता देने या खुलवाने या कायम करने का अधिकार नहीं देती है।(पैरा–6)

(v)1995 आरआरडी 469– चन्दगीराम बनाम बनवारी में यह स्पष्ट किया गया है कि भूमि को धारण करने वाले का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कि वास्तव में भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज हो तथा रास्ते के अधिकार से मतलब है ऐसे रास्ते का अधिकार जो कि भूमि पर जाने का हो, न कि एक आम रास्ता अर्थात् वह व्यक्ति जो कि अपनी भूमि पर दूसरे की भूमि पर से रास्ता क्लेम करता है वह व्यक्ति यहां पर आता है न कि आम जनता।

(vi)इसी प्रकार 1988 आरआरडी (खेमराज बनाम राज्य) में यह स्पष्ट किया है कि धारा 251 के तहत Right of way means the way to respective holdings of applicants and does not relate to public through fare from one village to another (Para 5)

(vii) इसी प्रकार 2003 आरआरडी 536 रामचन्द्र बनाम श्याम में भी यह तय किया कि केवल भूमि धारक ही रास्ते के सुखाधिकार के लिए धारा 251 में आवेदन कर सकता है तथा ग्राम पंचायत व अन्य को धारा 251 के तहत सार्वजनिक रास्ते हेतु आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है।

(viii)2019 आरआरडी 433 अजयकुमार बनाम जोधसिंह में माननीय राजस्व मंडल ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रावधित प्रावधानों के अनुसार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 251 के तहत आमजन रास्ता खुलवाने की मांग नहीं कर सकते, केवल मात्र प्रभावित पक्षकार अथवा खातेदार जिसे रास्ते की आवश्यकता हो, उसके द्वारा ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

किया जा सकता है। इसी आशय का सिद्धान्त न्यायिक दृष्टान्त 2017 आरआरटी (1) पेज 396 पर उद्धरित है। (द्वारका प्रसाद बनाम बाबूलाल वगैरा पैरा–8), 2010 आरआरडी 507 मूलचंद बनाम प्रभू, 1975 आरआरडी–401 (श्रीराम बनाम ग्राम पंचायत–हमीरवास बाडा)

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतो में प्रतिपादित सिद्धान्तों अनुसार धारा 251 के तहत तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र पेश करने का अधिकार केवल मात्र भूमि धारक (Holder of land) को ही उपलब्ध है, जिसको अपनी जोत तक पहुंचने हेतु अन्य टिनेन्ट की भूमि पर से गुजरना पड़ता है तथा ऐसे सुखाचार में बाधा कारित करने पर भू–धारक बाधा कारित करने वाले भूमि धारको के विरूद्ध आवेदन तहसीलदार को देगा।

7. (a) उक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान अपील के तथ्यों का विश्लेषण करने से जाहिर होता है कि प्रार्थी कैलाशचंद द्वारा तहसीलदार, बालेसर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कहीं नहीं लिखा है कि वह किसी विशेष ख.नं. की कृषि भूमि का भू धारक है, जिसका सर्वे नंबर, रकबा वगैरा की पुष्टि हेतु चालू जमाबंदी से फलां–फलां है। बल्कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर केवल मात्र एक सामूहिक प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति ही उपलब्ध है, जिस पर 45 लोगों से भी अधिक के हस्ताक्षर है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ग्राम पंचायत जिनजिनयाला कल्ला में गोपालजी चौराहा के पास बालेसर–तिंवरी रोड से नाईयों, ब्राह्मणों, दर्जियों, सुथारों आदि ढाणियां होते हुए जिनजिनयाला गोविंदा गांव तक पीढियों से पुराना रास्ता चलता है जहां पर चार गांव का आवागमन होता है तथा उक्त ढाणियों में आने जाने का एक मात्र रास्ता है जो दिनांक 16.05.2025 को खातेदार समदादेवी पत्नी कन्हैयालाल जोशी ने ख.नं. 816/56 पर जेसीबी से खाई खुदाई करके बंद कर दिया है। कन्हैयालाल ने रा.प्रा.वि. ब्राह्मणों की ढाणियों से घुडियाला मार्ग पीढियों से चलता है जहां पर भी जेसीबी से खाई खोदकर रास्ता बंद कर दिया है, जिससे गांव वालों को भारी समस्या हो गई है, जिससे पूरा गांव परेशान है। मरीजों को अस्पताल, बच्चों को स्कूल, डिलीवरी व श्मशान तक जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है। अतः रास्ता खुलवाया जावे।

(b) गांववासियों की उक्त सामूहिक शिकायत पर पटवारी हल्का जिनजिनयाला कला ने दिनांक 22.05.2025 को मौका जांच रिपोर्ट तैयार की है, जिसके अनुसार ख.नं. 816/56 में रास्ता दर्ज नहीं है तथा खातेदार ने शिकायत में अंकित विवरण के रास्ते को जेसीबी से बंद कर दिया है। ग्रामीणों के बताये अनुसार उक्त आम रास्ता पिछले 35–30 वर्षों से एक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

मात्र कदीमी आम रास्ता है जिसके द्वारा सभी ढाणियों के लोगों का आना जाना होता है। दिनांक 16.05.2025 से आम रास्ता बंद होने से सभी ग्रामीणों को समस्या आ रही है।

(c)तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 की पालना में पटवारी ने दिनांक 30.05.2025 को पालना की मौका रिपोर्ट तैयार की है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। इस रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 54 में आवागमन हेतु पूर्व में ख.नं. 816/56 में से कदीमी रास्ता चलता था जो वर्तमान में ख.नं. 816/56 के काश्तकार द्वारा उक्त खसरे में कृषि हेतु बंद कर दिया गया है, पूर्व में चलने वाले रास्ते का ख.नं. 816/56 में बिंदु ए से बी के रूप में दर्शाया है, जो ख.नं. 816/56 को दो भागों में बांटता है। वर्तमान में ख.नं. 816/56 के काश्तकार द्वारा ख.नं. 817/56 की माठ (सीमा) से लगता हुआ खोलना बताया है।

8. (a) उक्त तथ्यात्मक स्थिति से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र काश्तकार विशेष द्वारा अपनी कृषि भूमि पर ख.नं. 816/56 में से होकर पहुंचने हेतु पेश नहीं किया गया है। आम जनता द्वारा प्रस्तुत शिकायत की फोटोप्रति के आधार पर ही धारा 251 के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर यह कार्यवाही की गई है, जो विधि प्रावधानों के बिल्कुल विरूद्ध है।

(b)इसके अतिरिक्त दिनांक 26.05.2025 को प्रकरण दर्ज किया जाकर, अपीलांट को नोटिस जारी कर अगले दिन दिनांक 27.05.2025 को ही अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कहा गया है तथा दिनांक 27.05.2025 को ही एकपक्षीय निर्णय पारित करके रास्ता खोलने के आदेश पारित किया है, जिससे अपीलांट के सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर हनन हुआ है तथा ऐसे आदेश निश्चित रूप से तानाशाही की तारीफ में आता है तथा मनमाना, अतर्कसंगत व आधारहीन व अवैध होने से अपास्त योग्य है।

9. राज्य सरकार ने परिपत्र जारी करके, यह व्यवस्था की है कि जो रास्ते मौके पर कदीमी चल रहे है, उनका सर्वे करके रिकॉर्ड में भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता अंकित की जावे तथा इस हेतु तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट पर उचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी (भू अभिलेख अधिकारी) को अधिकृत भी किया हुआ है, परंतु उक्तानुसार कार्यवाही नहीं करके धारा 251 के तहत बिना क्षेत्राधिकारिता के गैर कानूनी तरीके से, इस प्रकरण में तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें विधि में दी गई प्रकिया का पालन किये बिना ही एक ही दिन में अंतिम आदेश तक पारित किया गया है, जो अवैध होने से अपास्त योग्य है। किसी भू धारक के सुखाधिकारों में बाधा कारित होने

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बाबत कोई सुसंगत तथ्य/साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं है तथा न ही तहसीलदार ने इसकी जांच की है तथा न ही कैलाशचंद ने साक्ष्य/सबूत से साबित किया है।

10. अतः तहसीलदार बालेसर द्वारा कैलाशचंद वगैरा द्वारा सार्वजनिक रास्ता खुलवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति पर ही धारा 251 में कार्यवाही करके एक ही दिन में प्रकरण सं. 38/2025 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2025 विधिक प्रावधानों के विपरित होने से क्षेत्राधिकारिता से परे होने से अवैध है तथा अवैध आदेश की पालना में की गई पश्चात्वर्ती समस्त कार्यवाही भी अवैध होने से प्रारंभतः शून्य है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

आदेश

11. उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार तहसीलदार, बालेसर द्वारा राजस्व प्रकरण सं. 38/2025 (कैलाशचंद बनाम समदा देवी) में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 को अपास्त करने हेतु, प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, बालेसर द्वारा प्रकरण सं. 38/2025 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 अपास्त किया जाता है।
12. आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, बालेसर को लौटाया जावे।
13. लंबित समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है। मूल अपील का उक्तानुसार निर्णय होने से स्थगन प्रार्थना पत्र भी निस्तारित किया जाता है।
14. पत्रावली बाद तामिल व तकनीकी फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर